न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं. : 303/12

अनवान :

छोटूराम बनाम चन्द्रावली आदि

प्रार्थना पत्र : अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी

उपस्थिति : वकील श्री लिलाधर अग्रवाल : **प्रार्थीगण**
वकील श्री सुनिल बैनीवाल : **अप्रार्थीगण**
निर्णय **दिनांक :** 21/2/18

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि अनवान सदर के दावा में प्रार्थी प्रतिवादी पक्ष है जिनके द्वारा पूर्व में दावा का जबाबदावा पेश किया था परन्तु जबाबदावा पेश करते समय दावा की मद सं0 3 में मोतीराम की दो औरते लादी व सन्दोखी होने का कथन वादी द्वारा किया गया है जबकि वादी ने मोतीराम की दो औरत होने का कथन गलत बयानी होने के कारण स्वीकार नहीं है। मोतीराम की धर्मपत्नि लादी थी एंव संदोखी नामक औरत मुखराम के घर रहने लगी। संदोखी के मुखराम के नुत्फे से ही खुबराम लिलुराम व पतौरी पैदा हुवे थे लेकिन राजस्व रिकार्ड एवं अन्य कागजात में उनके पिता का नाम सहबन मुखराम के स्थान पर मोतीराम दर्ज हो गया। इस प्रकार जबाबदावा में यह महत्वपूर्ण तथ्य दर्ज करने से रह गया जो कि दावा के लिए अहम व आवश्यक होने के कारण प्रार्थी प्रतिवादीगण अपना संशोधित जबाब पेश करना चाहते है जिससे पक्षकारान के मध्य इन्साफ हो सकेगा और कादीगण पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ता है एवं न्याय की मंशा भी यही है। दावा अभी प्रारम्भिक स्टेज पर है।

अत : प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थी प्रतिवादी को संशोधित जबाबदावा पेश करने की इजाजत सादिर फरमाई जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के उपरान्त अप्रार्थीगण ने जबाब पेश कर जाहिर किया कि प्रतिवादी पक्ष ने आदेश 6 नियम 17 का प्रार्थना पत्र अपने जवाबदावा में संशोधन करवाने बाबत पेश किया है परन्तु प्रतिवादीगण ने यह कहीं भी दर्ज नहीं किया है कि वो जबाबदावा में कौनसे स्थान पर कौनसे पेज नं0 पर या कौनसी लाईन में क्या शब्द या वाक्य जुडवाना चाहते है। प्रतिवादीगण ने दावा की मद सं0 3 का हवाला पेश किया है व जवाबदावा पेश करते समय अपने जवाबदावा में दावा की मद सं0 3 में दर्ज कथन से इन्कारी नहीं होना दर्ज किया है, यानी मोतीराम की दो औरतें लादी व संदोखी को मोतीराम की पत्नी होना स्वीकार किया है। अब प्रतिवादीगण संदोखी को मोतीराम की पत्नि होने से इन्कारी कर रहे है। इस प्रकार अगर संशोधन किया जाता है तो प्रतिवादीगण द्वारा पेश जबावदावा की प्रकृति ही बदल जाती है तथा पहले स्वीकार किये गये तथ्य को अब प्रतिवादीगण इनकार नहीं कर सकते है। न्याय की मंशा यह कतई नहीं है कि पहले से स्वीकृत किये गये तथ्यों को जरिये संशोधन इन्कारी में बदल दिया जावे।

कानूनन आदेश 6 नियम 17 के तहत अपने अभिवचनों में ऐसा कोई संशोधन किया जा सकता है जिससे पूर्व में किये गये कथन की प्रकृति न बदलती हो इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दरख्वास्त आदेश 6 नियम 17 सीपीसी किसी भी प्रकार से चलने के काबिल नहीं है।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि दावा की मद सं0 3 में मोतीराम की दो औरतें होना अंकित है, जबकि मेरा कहना है कि मोतीराम की पत्नि लादी थी व संदोखी मुखराम की पत्नि थी। मोतीराम व मुखराम सगे भाई थे। मुखराम के देहान्त के बाद संदोखी मोतीराम के साथ रहने लगी। मुखराम के नुत्फे से ही संदोखी के रामचन्द्र, पतौरी व बिमला तीन संताने हुई।

वकील अप्रार्थीगण ने न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2014–15(supp) पृष्ठ सं0 570–75 पेश कर अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 में प्रोविजन है कि जो स्वीकृत तथ्य है उसे इसके जरिये नहीं बदला जा सकता है।

बहस वकुलाय फरिकेन सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा में वादी के दावा की मद सं0 3 को स्वीकार किया है। अब प्रतिवादी जरिये प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी द्वारा जवाबदावा की मद सं0 3 में संशोधन चाहता है। प्रार्थी जिस मद में तथ्यों में संशोधन चाहता है, प्रार्थी उन तथ्यों से पूर्व में ही पूर्णतया परिचित था, उक्त तथ्य सीधे प्रार्थी से जुड़े हुए है, तो प्रार्थी को उक्त तथ्यों को अपने जवाबदावा पेश करने के समय ही जवाबदावा में शामिल करना था।

अप्रार्थीगण (वादीगण) द्वारा पेश न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2014–15(supp) पृष्ठ सं0 570–75 में माननीय उच्च न्यायालय ने भी S.B.Civil writ petition No.3647 of 2015 में स्पष्ट किया है कि जबाबदावा में की गयी स्वीकारोक्ति को संशोधन के द्वारा वापिस नहीं लिया जा सकता है। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रार्थना पत्र पर चस्पा होता है।

अत : प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पोषणीय व साबित न होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21/2/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ